भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2426
15.07.2019 को उत्तर के लिए

सतह और भूजल प्रदूषण

2426. श्री संजय सिंह:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सतह जल और भूजल श्रेणी-वार की मात्र में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) जल निकायों के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है; और

(ग) प्रदूषण विशेषकर औद्योगिक स्राव और ठोस अपशिष्ट के पाटन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) अनुपचारित मलजल, औद्योगिक अपशिष्ट, उर्वरक, कीटनाशकों सन्निहित कृषि बहाव आदि जिसमें उर्वरक के उत्सर्जन के कारण देश में जल निकाय प्रदूषित हैं। राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत देशभर के निगरानी स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) सतह और भूजल दोनों की गुणवत्ता की निगरानी करता है। विभिन्न मानदण्डों के लिए जल गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है जिसमें फिजियो केमिकल, जीवाणुतत्व, भारी धातु कीटनाशक आदि शामिल हैं। सीपीसीबी ने 2018 के दौरान 323 नदियों के 351 प्रदूषित नदी भागों की पहचान की है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के एकाकी क्षेत्रों में मानव उपयोग के लिए फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, आयरन और भारी धातुओं जैसे प्रदूषकों की अनुमेय सीमा (बीआईएस के अनुसार) से अधिक की उपस्थिति को दर्शाता है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा सूचित भू-जल संदूषण की प्रकृति अधिकतर जिओजैनिक प्रकार की है और वर्षों तक इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तथापि, नाइट्रेट संदूषण ज्यादातर मानवजनित होता है और इसका प्रसार कुछ क्षेत्रों, विशेषकर आबादी के आस-पास वाले क्षेत्रों में देखा गया है। नाइट्रेट संदूषण उर्वरकों के अधिकतर प्रयोग से भी हो सकता है।

जल निकायों के प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं उद्योगों, संचालन या प्रक्रियाओं से अपशिष्टों के लिए मानक तैयार करना और अधिसूचित करना; राज्य प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा स्वीकृत क्रियाविधि तथा नियमित निगरानी के माध्यम से इन मानकों को लागू करना; जल गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी

नेटवर्क स्थापित करना; जल निकायों में सीधे मलजल को प्रवाहित करने की जांच के लिए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (आसीईएमएस) की स्थापना; स्वच्छतर उत्पादन प्रक्रियाओं का संवर्धन; लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों के समूह के लिए सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र स्थापित करना; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी करना आदि शामिल हैं। इसके साथ-साथ, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) भू-जल की खोज के लिए कुओं का निर्माण करता है और लाभकारी प्रयोग के लिए राज्य सरकारों को सफल संदूषण मुक्त कुओं को सौंपता है। ये भू-जल प्रदूषण निवारण सहित भू-जल के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यक्रम/ कार्यशाला आयोजित करता है।

*****